दैनिक भारत कि
तामीर
संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com
Editor in chief- Qazi makhdoom shafiuddin

बीड (महाराष्ट्र) | वर्ष-२ ला | अंक-११८ वा | सोमवार ५ अक्टूबर २०२६ | RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 | किमत : २ रूपये | पन्ने - ४

बीड की धरती और काकू की पवित्र स्मृतियों को नमन करने आया हूं : केंद्रीय राज्यमंत्री तोकण साहू

बीड की पहचान संघर्ष और कर्तृत्व की भूमि : प्रा. राम शिंदे

इन्सानियत कि सेवा हि मेरा धर्म रहा है। जय दत्त क्षीरसागर।













बीड, ४ अक्टूबर (प्रतिनिधि)। बीड ऐतिहासिक भूमि है। इस धरती से देश का नेतृत्व करने की क्षमता पैदा हुई है। देशभर में बिखरे साहू समाज को एकजुट कर संगठनात्मक नेतृत्व की नई दिशा देने का ऐतिहासिक कार्य स्वर्गीय केशर काकू क्षीरसागर ने किया। इस धरती और काकू की पवित्र स्मृतियों को नमन करने के लिए मैं बीड आया हूं, ऐसा प्रतिपादन आवास एवं शहरी विकास केंद्रीय राज्यमंत्री तोकण साहू ने किया।

वहीं, विधान परिषद के सभापति प्रा. राम शिंदे ने कहा कि बीड जिले की पहचान संघर्षपूर्ण जीवन और कर्तृत्व की भूमि के रूप में है। इस धरती ने केशर काकू क्षीरसागर, स्वर्गीय प्रमोद महाजन और स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जैसे नेतृत्व देश को दिए हैं। इन नेताओं ने केवल पद प्राप्त करने के लिए संघर्ष नहीं किया, बल्कि प्राप्त पद के साथ न्याय करने के लिए संघर्ष किया।

पूर्व सांसद स्वर्गीय केशर काकू क्षीरसागर की २०वीं पुण्यतिथि के अवसर पर काकू-नाना प्रतिष्ठान की ओर से आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में वे बोल रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा के अध्यक्ष तथा पूर्व मंत्री जयदत्त क्षीरसागर ने की।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू, बीड के सांसद बजरंग सोनवणे, विधायक बसवराज पाटील, शिक्षक विधायक विक्रम काळे, विधायक संदीप साहू, विधायक विजय चौधरी, ह.भ.प. समाधान महाराज शर्मा, ह.भ.प. महादेव महाराज चाकरवाडीकर, ह.भ.प. शिवाजी महाराज नारायणगढ़, ह.भ.प. विठ्ठल महाराज गहिनीनाथगढ़, लक्ष्मण महाराज मेंगडे, दया भाई मोदी (अहमदाबाद) सहित पूर्व विधायक बदामराव पंडित, सिराजुद्दीन देशमुख, जनार्दन तुपे, भीमराव धोंडे, बालासाहेब आजबे, साहेबराव दरेकर, सहाल चाऊस, दत्ताजी साहू, लक्ष्मी सावरकर, रामलालजी साहू सहित अनेक गणमान्य उपस्थित थे।

केंद्रीय राज्यमंत्री तोकण साहू ने आगे कहा कि बीड जिले से संबंधित कोई भी काम मेरे पास आया तो उसे प्राथमिकता देकर हल कराने का हरसंभव प्रयास करूंगा। सूखे की समस्या पर स्थायी रूप से काबू पाने के लिए यदि जल ग्रिड का कार्य मुझे सौंपा जाता है तो उसे पूरा करने के लिए मैं हरसंभव प्रयास करूंगा।

केशर काकू के नेतृत्व का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व के कारण साहू समाज में व्यापक जागरूकता पैदा हुई। राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा संगठन खड़ा हुआ और समाज को संगठित शक्ति देने का महत्वपूर्ण कार्य काकू ने किया।

इस अवसर पर प्रा. राम शिंदे ने कहा कि कर्जत-जामखेड के रास्ते बीड जिले में पानी लाकर जिले के सभी ११ तालुकों की प्यास बुझाने की दिशा में बड़ा कार्य शुरू है। लगभग ५५ टीएमसी पानी के माध्यम से बीड की धरती की प्यास बुझाने का सपना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में पूरा करने के प्रयास जारी हैं। इसके लिए हम हरसंभव सहयोग करेंगे।

पूर्व मंत्री जयदत्त क्षीरसागर ने अपने अध्यक्षीय भाषण में भावुक शब्दों में केशर काकू के कार्यों तथा बीड की जनता के साथ क्षीरसागर परिवार के संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जिसका कोई सहारा नहीं है, मैं उसका सहारा हूं। बिना किसी मोबदले के घर-घर सेवा देने वाले व्यक्ति के रूप में मैं हमेशा जनता के साथ मजबूती से खड़ा हूं।

साथ हि उन्होंने इस संकल्प को दोहराया के वो सिर्फ इन्सानियत को धर्म मानते है और इसी जज्बे से सेवा करते रहेंगे ।

उन्होंने कहा कि बीड जिले की जनता के उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। हमें सत्ता तक पहुंचाने में १८ पगड़ जातियों के गरीब से लेकर अमीर तक सभी लोगों का योगदान है। क्षीरसागर परिवार इन सभी के ऋण को कभी नहीं भूलेगा।

केशर काकू के विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि रेलवे, स्कूल, महाविद्यालय, दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्र जैसी सुविधाएं बीड में लाने के लिए काकू ने अथक प्रयास किए। उनके लगातार प्रयासों के कारण बीड के विकास को नई दिशा मिली।

बीड के सांसद बजरंग सोनवणे ने कहा कि बीड जिले में जाति और धर्म कभी विकास के आड़े नहीं आए। यदि काकू के समय जातीय राजनीति को महत्व दिया गया होता तो वे ग्राम पंचायत के सरपंच पद से लेकर सभापति, तीन बार विधायक और दो बार सांसद के रूप में निर्वाचित नहीं होतीं। बिजली, आकाशवाणी, दूरदर्शन केंद्र और रेलवे जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं बीड में लाने में काकू का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

इस अवसर पर रामलाल गुप्ता, विधायक बसवराज पाटील, विधायक विक्रम काळे और श्रीमती ममता साहू ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

कार्यक्रम में रविंद्र क्षीरसागर, ललिता भांडकर, विजूताई महिंद्रे, विठ्ठल क्षीरसागर, रोहित क्षीरसागर, हर्षद क्षीरसागर, सुनील क्षीरसागर, दिलीप ख्रिस्ती, अरुण बोंगाणे, सुभाष क्षीरसागर, माधवराव मोराळे, शेषेराव फावडे, भागवत तावरे, दादासाहेब मुंडे, मोईन मास्टर, एडवोकेट शेख शफीक, विलास बडगे, दिनकर कदम, गंगाधर घुमरे, अरुण डाके, नानासाहेब काकडे, विष्णुदास बियाणी, राजाभाऊ गुजर, अशोक लोढ़ा, शिवाजी जाधव, तानाजी कदम सहित बड़ी संख्या में महिला-पुरुष उपस्थित थे।

कार्यक्रम का प्रस्तावना भाषण एडवोकेट कालिदास थिगळे ने किया। संचालन गिरीश देशपांडे ने किया, जबकि अंत में जगदीश काळे ने उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर स्वर्गीय केशर काकू क्षीरसागर को मरणोपरांत सम्मानपत्र प्रदान किया गया। सम्मानपत्र का वाचन ज्ञानेश्वरी देशपांडे ने किया। साथ ही गणमान्य व्यक्तियों के हाथों स्वास्थ्य दिनदर्शिका का विमोचन किया गया। केशर काकू की स्मृतियों को नमन करने के लिए बीड जिले के विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्ति, संत-महंत, सामाजिक कार्यकर्ता और नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। स्वर्गीय केशर काकू क्षीरसागर के कार्यों का गौरव, बीड के विकास का संकल्प और उनकी स्मृतियों को श्रद्धांजलि-इन तीन उद्देश्यों के साथ स्मृतिदिन समारोह भावपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ।

अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री जयदत्त क्षीरसागर ने किया अतिथियों का स्वागत



बीड: अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री जयदत्त क्षीरसागर ने बीड आगमन पर छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव तथा छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. श्रीमती ममता साहू का स्वागत किया।

बीड एसआयआर समन्वयक बने शेख मुजीब; सुनील तटकरे ने सौंपी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी

बीड (प्रतिनिधि): मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम की पृष्ठभूमि में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए समन्वयकों की नियुक्ति की है। इसमें बीड विधानसभा क्षेत्र के समन्वयक पद पर शेख मुजीब की नियुक्ति की गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष तथा सांसद सुनील तटकरे ने शेख मुजीब को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है।

शेख मुजीब ने कहा कि पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार, प्रदेशाध्यक्ष सांसद सुनील तटकरे के नेतृत्व तथा प्रदेश महासचिव अमर सिंह पंडित, विधायक विजय सिंह पंडित और जिलाध्यक्ष राजेश्वरआबा चव्हाण के मार्गदर्शन में वह इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ निभाएंगे।



बीड नगरपालिका चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस की संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाते हुए पार्टी के मजबूत चेहरे के रूप में सामने आए शेख मुजीबभाई को अब सीधे विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपे जाने से उनकी राजनीतिक यात्रा में एक नई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जुड़ गई है।

डखठ अभियान के माध्यम से मतदाता सूचियों से संबंधित कार्यों पर निगरानी रखना, पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय स्थापित करना तथा विधानसभा क्षेत्र में संगठनात्मक व्यवस्था को सक्रिय रखना, समन्वयकों की प्रमुख जिम्मेदारी होगी।

प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे ने राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र तक पार्टी का संगठनात्मक तंत्र मजबूत करने के उद्देश्य से समन्वयकों की नियुक्ति की है। बीड जैसे महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी शेख मुजीब को सौंपे जाने से माना जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व ने स्थानीय स्तर पर उनकी संगठनात्मक सक्रियता का संज्ञान लिया है।

नगरपालिका चुनाव के तुरंत बाद मिली यह जिम्मेदारी शेख मुजीब की राजनीतिक यात्रा के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आगामी समय में बीड विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने और मतदाताओं से संपर्क बढ़ाने की दृष्टि से उनकी नियुक्ति महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

केज विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी पूर्व विधायक संजय दौंड को राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सांसद सुनील तटकरे ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम की पृष्ठभूमि में राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए समन्वयकों की नियुक्ति की है।

भारत पर टैरिफ से अमेरिकी नाराज! ट्रंप पर सर्वे में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक नीतियों और बढ़ती महंगाई को लेकर बड़ी संख्या में अमेरिकी उनसे नाखुश हैं. भारत जैसे देशों पर टैरिफ लगाए जाने से भी जनता ट्रंप से नाराज है. -झ-छजठउ के ताजा सर्वे में लोगों ने महंगाई, अर्थव्यवस्था और व्यापार नीति को लेकर ट्रंप के कामकाज पर सवाल उठाए हैं. सर्वे के मुताबिक, सिर्फ ३० फीसदी अमेरिकी ट्रंप के कुल कामकाज को सही मानते हैं. अर्थव्यवस्था संभालने के मामले में उनकी अप्रूवल रेटिंग २६ फीसदी और रहने के बढ़ते खर्च से निपटने के मामले में सिर्फ १७ फीसदी है.

सर्वे में ६५ फीसदी अमेरिकी वयस्कों ने कहा कि सामान्य से ज्यादा कीमतें ट्रंप की नीतियों का नतीजा हैं. हालांकि, रिपब्लिकन मतदाताओं की राय अलग है. ६७ फीसदी रिपब्लिकन का कहना है कि बढ़ी हुई कीमतों की वजहें राष्ट्रपति के नियंत्रण से बाहर हैं. -झ-छजठउ के मुताबिक, अक्टूबर २०२२ में जब जो बाइडेन राष्ट्रपति थे, तब ४४ फीसदी अमेरिकी मानते थे कि सामान्य से ज्यादा कीमतें उनकी नीतियों की वजह से थीं. उस समय ८७ फीसदी डेमोक्रेट्स का कहना था कि बढ़ी कीमतें राष्ट्रपति के नियंत्रण से बाहर थीं.

अमेरिका में रहने के बढ़ते खर्च के मुद्दे पर भी ट्रंप को बड़ा झटका लगा है. ६९ फीसदी अमेरिकी वयस्कों का कहना है कि इस मामले में ट्रंप का प्रदर्शन उनकी उम्मीद से खराब रहा. इसमें ५२ फीसदी रिपब्लिकन भी शामिल हैं. सर्वे में यह भी सामने आया कि आधे से ज्यादा अमेरिकी मानते हैं कि ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद देश, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और उनकी स्थानीय अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब हुई है. ४६ फीसदी लोगों का कहना है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद से उनकी और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी खराब हुई है.

देश गलत दिशा में जा रहा है

सर्वे में अमेरिका की मौजूदा दिशा को लेकर भी लोगों में चिंता दिखाई दी. कुल ७३ फीसदी अमेरिकी वयस्कों का कहना है कि देश गलत दिशा में जा रहा है. इनमें ९२ फीसदी डेमोक्रेट और ४७ फीसदी रिपब्लिकन शामिल हैं. ट्रंप की व्यापार नीति को लेकर भी अमेरिकी जनता की राय ज्यादा सकारात्मक नहीं है. ६८ फीसदी लोगों ने दूसरे देशों के साथ उनकी व्यापार वार्ता को लेकर असंतोष जताया. ५८ फीसदी लोगों का कहना है कि उनके दूसरे कार्यकाल में व्यापार के मामले में ट्रंप का प्रदर्शन उम्मीद से खराब रहा है. इसके अलावा ६४ फीसदी अमेरिकी मानते हैं कि भारत जैसे दूसरे देशों पर नए टैरिफ लगाने में ट्रंप जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ गए हैं.

इमिग्रेशन पर ट्रंप को थोड़ी बेहतर रेटिंग

इमिग्रेशन ऐसा मुद्दा है जहां ट्रंप की स्थिति बाकी मुद्दों के मुकाबले थोड़ी बेहतर है. सर्वे में ३९% लोगों ने इमिग्रेशन संभालने के उनके तरीके को मंजूरी दी. हालांकि, ४८ फीसदी लोगों का कहना है कि इस मामले में ट्रंप का प्रदर्शन उनकी उम्मीद से खराब रहा, जबकि २३ फीसदी ने इसे उम्मीद से बेहतर बताया.

कनाडा को करीबी सहयोगी मानने वालों की संख्या घटी

सर्वे में अमेरिका और कनाडा के रिश्तों को लेकर भी बदलाव देखने को मिला. तीन साल पहले ६२ फीसदी अमेरिकी कनाडा को अमेरिका का करीबी सहयोगी मानते थे. मार्च २०२५ में यह आंकड़ा ४५ फीसदी था. अब सिर्फ २६ फीसदी लोग कनाडा को करीबी सहयोगी मानते हैं. ३५ फीसदी लोगों का कहना है कि अमेरिका और कनाडा के बीच दोस्ताना संबंध हैं, लेकिन दोनों करीबी सहयोगी नहीं हैं. ३० फीसदी लोगों ने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते दोस्ताना नहीं हैं, लेकिन वे एक-दूसरे के दुश्मन भी नहीं हैं.

ईरान नीति से ७१ फीसदी अमेरिकी असंतुष्ट

ईरान के मामले में भी ट्रंप को जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है. ७१ फीसदी अमेरिकी वयस्कों ने कहा कि वे ईरान को लेकर ट्रंप के तरीके से असहमत हैं. वहीं ६९ फीसदी लोगों का कहना है कि ईरान में युद्ध लड़ना सही नहीं था. सर्वे में ट्रंप के चुनावी वादों को लेकर भी लोगों की राय सामने आई. सिर्फ १७ फीसदी अमेरिकी मानते हैं कि ट्रंप अपने वादे पूरे करते हैं. इनमें डेमोक्रेट्स के सिर्फ ४ फीसदी और रिपब्लिकन के ३६ फीसदी लोग शामिल हैं. ८७ फीसदी डेमोक्रेट्स का कहना है कि ट्रंप अपने वादे पूरे नहीं करते. रिपब्लिकन में ४८ फीसदी लोगों का कहना है कि ट्रंप वादे पूरा करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते.

२,१४० लोगों के बीच हुआ सर्वे

-झ-छजठउ का यह सर्वे २४ से २८ सितंबर २०२६ के बीच किया गया. इसमें अमेरिका के २,१४० वयस्कों से ऑनलाइन और फोन के जरिए सवाल पूछे गए. सर्वे छजठउ के -शीळडशिश्र पैनल के जरिए किया गया और इसमें सैंपलिंग की गलती की सीमा प्लस या माइनस २.९ फीसदी अंक है.

६ अक्टूबर को एकसाथ दो मैच खेलेगी टीम इंडिया

भारतीय क्रिकेट टीम को दिसंबर महीने तक खूब सारा क्रिकेट खेलना है. टीम इंडिया के सामने अगली चुनौती वेस्टइंडीज की है. भारत और वेस्टइंडीज का पहला टी२० मैच ६ अक्टूबर को लखनऊ में खेला जाएगा. मगर इसी दिन भारत की एक और क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया से खेल रही होगी. मजे की बात यह है कि दोनों टीम इंडिया एक ही समय पर एक्शन में दिखेंगी.

दरअसल मंगलवार, ६ अक्टूबर को भारत की सीनियर टी२० टीम को वेस्टइंडीज से पहला टी२० मैच खेलना है. फिलहाल ऑस्ट्रेलिया ए टीम भी भारत दौरे पर आई हुई है. कल से इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए की तीन मैचों की जऊख सीरीज शुरू हो रही है. इस सीरीज में हार्दिक पांड्या वापसी करने वाले थे, लेकिन एक नई चोट के कारण उन्हें बाहर होना पड़ा. उनकी जगह सूर्यांश शेडगे ने ले ली है.

इंडिया ए बनाम ऑस्ट्रेलिया ए पहला जऊख मैच पुडुचेरी में खेला जाएगा, जो भारतीय समयानुसार दोपहर २ बजे से शुरू होगा. यह मुकाबला समाप्त नहीं हुआ होगा, इसी बीच शाम ७ बजे से भारत और वेस्टइंडीज का पहला टी२० मैच शुरू हो जाएगा. इसलिए एक तरफ लखनऊ, तो दूसरी ओर पुडुचेरी में भारत की दूसरी टीम एक्शन में होगी.

भारत की सीनियर टीम वनडे सीरीज में वेस्टइंडीज को २-१ से हराकर आ रही है. अब टी२० सीरीज में उनके बीच कुल पांच मैच खेले जाएंगे. वहीं इंडिया ए ने दो मैचों की अनऑफिशियल टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ए को १-० से चित्त कर दिया था. अब उनकी तीन वनडे मैचों की सीरीज ६-११ अक्टूबर तक चलेगी.

कितने बजे शुरू होंगे दोनों मैच?

भारत-वेस्टइंडीज पहला टी२०: भारत और वेस्टइंडीज का पहला टी२० मैच भारतीय समयानुसार शाम ७ बजे शुरू होगा. यह मुकबल लखनऊ स्थित इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा.

इंडिया ए बनाम ऑस्ट्रेलिया ए पहला जऊख: इंडिया ए बनाम ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे मैच भारतीय समयानुसार दोपहर २ बजे शुरू होगा. यह मुकाबला पुडुढेरी में खेला जाएगा.

भारत का टी२० स्काड: श्रेयस अय्यर, वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा, नमन धीर, अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, ईशान किशन, संजू सैमसन, कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, मयंक यादव

इंडिया ए का जऊख स्काड: ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), प्रियांश आर्य, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, नमन धीर, निशांत सिंधू, अर्शिन कुलकर्णी, विप्रज निगम, अरशद खान, कुमार कुशाग्र, प्रभसिमरन सिंह, यश ठाकुर, गुरजापनीत सिंह

सावधान! भारत में हर साल १.९ लाख लोग इस बड़ी वजह से हो रहे कैंसर के शिकार

कैंसर को आमतौर पर खराब जीवनशैली, तंबाकू, शराब या जेनेटिक्स से जोड़कर देखा जाता है. लेकिन हाल ही में आई एक ग्लोबल मेडिकल रिसर्च ने डॉक्टरों और आम जनता की चिंता को बढ़ा दिया है. मेडिकल जर्नल 'द लैंसेट ऑन्कोलॉजी' में छपी एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में हर साल लगभग १.९ लाख कैंसर के नए मामले सीधे तौर पर अलग-अलग तरह के बैक्टीरिया और वायरस जनित संक्रमण के कारण सामने आ रहे हैं. इस रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि शरीर में लंबे समय तक रहने वाले कुछ आम संक्रमण आगे चलकर जानलेवा कैंसर का रूप ले सकते हैं.

देश के कुल कैंसर मामलों में बड़ा हिस्सा

विश्व स्वास्थ्य संगठन थकज की इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ख-ठउ के शोधकर्ताओं ने अपनी इस स्टडी में कई चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, भारत में साल २०२४ के दौरान कुल १५.६२ लाख से ज्यादा कैंसर के नए मामले दर्ज किए गए थे.

हैरानी की बात यह है कि इनमें से १२ प्रतिशत से अधिक कैंसर मरीजों की बीमारी के पीछे कोई न कोई पुराना संक्रमण जिम्मेदार था. केवल भारत ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी कुल कैंसर मामलों का लगभग १२ फीसदी हिस्सा करीब २३ लाख मामले इन्हीं रोके जा सकने वाले संक्रमणों की वजह से बढ़ रहा है.

ह्यूमन पेपिलोमावायरस क्झत बना सबसे बड़ा दुश्मन

भारत में संक्रमण से होने वाले कैंसर के मामलों में सबसे बड़ा योगदान 'ह्यूमन पेपिलोमावायरस' यानी क्झत का देखा गया है. अकेले इस वायरस के कारण देश में १ लाख से ज्यादा कैंसर के मामले सामने आए हैं. यह वायरस मुख्य रूप से महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है. राहत की बात यह है कि इस गंभीर खतरे से समय रहते वैक्सीन लगवाकर पूरी तरह बचा जा सकता है, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है.

पेट और लिवर को निशाना बना रहे हैं ये बैक्टीरिया

क्झत वायरस के बाद दूसरा सबसे बड़ा खतरा पेट में होने वाले संक्रमण से जुड़ा है. रिपोर्ट के अनुसार, 'हेलिकोबैक्टर पायलोरी' नाम का एक पेट का बैक्टीरिया भारत में करीब ४७,००० कैंसर मामलों की वजह बना है, जो आगे चलकर गैस्ट्रिक या पेट का कैंसर बन जाता है.

इसके अलावा, लिवर को नुकसान पहुंचाने वाले 'हेपेटाइटिस बी' और 'हेपेटाइटिस सी' वायरस भी देश के लिए बड़ी चुनौती हैं. इन वायरसों के कारण क्रमशः १०,००० और ५,३०० के करीब लिवर कैंसर के नए मामले देखे गए हैं। वहीं, 'एपस्टीन-बार वायरस' भी लगभग २२,००० कैंसर मामलों के लिए जिम्मेदार पाया गया है. ये सभी ऐसे रोगजनक हैं जो शरीर में सालों साल छिपे रहते हैं और धीरे-धीरे कोशिकाओं को कैंसर ग्रस्त कर देते हैं.

यह भी पढ़ें: विटामिन ऊसे भरपूर मशरूम हांडी कैसे बनाएं? नोट कर लीजिए रेसिपी

वैक्सीनेशन और समय पर जांच है सबसे बड़ा बचाव

इस पूरी रिपोर्ट के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इन मामलों को सही समय पर रोका जा सकता है. चूंकि ये सभी मामले संक्रमण से जुड़े हैं, इसलिए सही समय पर टीकाकरण, रूटीन स्क्रीनिंग और समय पर इलाज की मदद से कैंसर के खतरे को बेहद कम किया जा सकता है. लड़कियों को कम उम्र में एचपीवी वैक्सीन देना और नवजात बच्चों को हेपेटाइटिस बी का टीका लगाना इस दिशा में सबसे प्रभावी कदम साबित हो सकता है. इसके साथ ही, पेट की पुरानी समस्याओं या इन्फेक्शन को नजरअंदाज न करके तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना बेहद जरूरी है.

कठोर निर्णयों को टालना सबसे कम नैतिक मार्ग है।

बात वर्ष १९१७ के चंपारण सत्याग्रह की है। सत्याग्रह के दौरान ब्रिटिश नीलहे बागान मालिक इर्विन ने महात्मा गांधी की हत्या के लिये एक घिनौना षड्यंत्र रचा। उसने अपने रसोइये बतख मियाँ अंसारी को बापू के दूध में ज़हर मिलाने का हुक्म दिया। इसके बदले उन्हें भारी इनाम, वेतन वृद्धि और ज़मीन का प्रलोभन दिया गया, जबकि मना करने पर भयानक परिणामों की चेतावनी मिली। उस क्रूर मालिक के खौफ से बतख मियाँ पहले तो शांत रहे, लेकिन जब ज़हर का गिलास लेकर गांधीजी के समक्ष पहुँचे, तो बापू की करुणा-भरी दृष्टि देखकर उनकी चेतना जाग उठी। अपनी जान और परिवार के विनाश का जोखिम जानते हुए भी बतख मियाँ ने मौन तोड़ा और पूरा सत्य उजागर कर दिया। वे चाहते तो डर या लालच में चुप रहकर उस 'कठोर निर्णय' को टाल सकते थे, परंतु उन्होंने नैतिक पलायन चुनने के बजाए सत्य के पक्ष में खड़े होने का साहसिक निर्णय लिया। इस सत्यनिष्ठा के बदले उन्हें और उनके परिवार को भयानक यातनाएँ, संपत्ति की ज़ब्ती और बेघर होकर पलायन सहना पड़ा। फिर भी, उनके इस एक निर्णय ने राष्ट्रपिता के प्राण बचाए। उन्होंने यह निर्णय लिया कि मालिक की आज्ञा से ऊपर मानव जीवन का मूल्य है। यही नैतिक साहस का मूल है। नैतिक साहस का अर्थ भय का अभाव नहीं है; बल्कि भय के बावजूद सही निर्णय लेने की क्षमता है। वास्तव में जो निर्णय जोखिमरहित हो, उसमें साहस की परीक्षा बहुत कम होती है। बतख मियाँ का यह प्रसंग हमें नीतिशास्त्र और जीवन के उस सबसे गूढ़ सत्य से साक्षात्कार कराता है जो यह रेखांकित करता है कि संकट के क्षणों में निष्पक्ष, साहसी और कठोर निर्णयों को टालना सबसे कम नैतिक मार्ग है।

मानव सभ्यता का समूचा इतिहास निर्णयों की अनवरत शृंखला से निर्मित हुआ है। प्रत्येक युग में व्यक्ति, समाज और राष्ट्र ऐसे दोराहों पर खड़े होते हैं जहाँ एक मार्ग सरल, तात्कालिक रूप से सुखद किंतु दीर्घकाल में विनाशकारी होता है; जबकि दूसरा मार्ग अत्यंत दुर्गम, पीड़ादायी किंतु अंतत: न्याय और सत्य की स्थापना करने वाला होता है। ऐसे निर्णायक क्षणों में जब कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व व्यक्ति के सम्मुख उपस्थित होते हैं, तब निर्णय लेने से कतराना या कठोर निर्णयों को अनिश्चितकाल के लिये टाल देना केवल एक व्यावहारिक विफलता नहीं होती, बल्कि यह नैतिक पतन का सबसे निकृष्ट रूप बन जाता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने भी इसी संदर्भ में चेतावनी दी थी कि अंतत: हम अपने शत्रुओं के कटु वचनों को नहीं, बल्कि अपने मित्रों की मौन निष्क्रियता को याद रखेंगे। जीवन में 'कुछ न करना' भी वास्तव में एक निर्णय ही होता है- यथास्थिति के अन्याय को मौन स्वीकृति देने का निर्णय। इसलिये, कठोर निर्णयों को ठंडे बस्ते में डालना नैतिक पलायनवाद का वह मार्ग है जो अंतत: सत्य, न्याय और मानवीय गरिमा को सबसे गंभीर क्षति पहुँचाता है।

नैतिक दर्शन के आधारभूत सिद्धांतों पर विचार करें तो इमैनुएल कांट का स्पष्ट मत था कि कर्त्तव्य का पालन किसी परिणाम या भय की चिंता किये बिना निरपेक्ष आदेश के रूप में किया जाना चाहिये। जब कोई प्रशासक, राजनेता या सामान्य नागरिक किसी कठोर नैतिक कर्त्तव्य से मुँह मोड़ता है, तो वह वस्तुत: अपनी नैतिक स्वायत्तता का आत्मसमर्पण कर देता है। निर्णय न लेना या उसे टालना अक्सर यह भ्रम पैदा करता है कि व्यक्ति ने कोई प्रत्यक्ष पाप या अपराध नहीं किया है। परंतु नीतिशास्त्र में कृत्य के पाप और अकृत्य के पाप के बीच का अंतर अत्यंत सूक्ष्म होता है। जब कोई चिकित्सक यह जानते हुए भी कि आपातकालीन शल्यक्रिया अत्यंत जोखिम भरी है, बदनामी या विफलता के भय से उसे टाल देता है और रोगी दम तोड़ देता है, तो उस चिकित्सक की निष्क्रियता किसी प्रत्यक्ष हत्या से कम अनैतिक नहीं होती। टालमटोल की यह प्रवृत्ति उत्तरदायित्व से भागने का छद्म आवरण मात्र है।

श्रीमद्भगवद्गीता का दर्शन भी इस नैतिक दुविधा और कठोर निर्णय लेने की अनिवार्यता के इर्द-गिर्द बुना गया है। कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र में अर्जुन अपने सगे-संबंधियों, गुरुजनों और भाइयों के मोह में पड़कर गांडीव रख देते हैं तथा युद्ध न करने का निर्णय लेते हैं। अर्जुन का यह संशय प्रथम दृष्ट्या करुणा और अहिंसा जैसा प्रतीत होता है, किंतु भगवान श्रीकृष्ण इसे कायरता की संज्ञा देते हैं। श्रीकृष्ण का स्पष्ट संदेश है कि जब अधर्म और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का समय आए, तो पारिवारिक मोह, व्यक्तिगत संबंधों या तात्कालिक अशांति के भय से कठोर निर्णय को टालना सबसे बड़ा अधर्म है। यदि अर्जुन ने उस दिन कठोर निर्णय लेने से इनकार कर दिया होता, तो अधर्म का साम्राज्य स्थापित हो जाता। अत: कठोर निर्णय लेने की अनिच्छा वस्तुत: नैतिक साहस के अभाव का ही दूसरा नाम है।

प्रशासन और लोक सेवा के संदर्भ में निर्णय न लेने की यह बीमारी, जिसे 'पॉलिसी पैरालिसिस' या प्रशासनिक जड़ता कहा जाता है, शासनतंत्र को भीतर से खोखला कर देती है। लोक सेवक को समाज के वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा, संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण और कानून के शासन को बनाए रखने का दायित्व सौंपा जाता है। जब एक अधिकारी राजनीतिक दबाव, जनविरोध या व्यक्तिगत हित के भय से भ्रष्ट व्यवस्था पर प्रहार करने से पीछे हटता है, अवैध निर्माण को हटाने में संकोच करता है या किसी जटिल सामाजिक समस्या पर आँखें मूंद लेता है, तो वह तात्कालिक रूप से तो अपने पद और प्रतिष्ठा को सुरक्षित कर लेता है, किंतु वह पूरी व्यवस्था की विश्वसनीयता को नष्ट कर देता है। प्रशासनिक निर्णयों को टालने का सीधा परिणाम जनता के विश्वास का टूटना और अन्याय का संस्थागत हो जाना होता है। यह उस 'विश्वास के सिद्धांत' का खुला उल्लंघन है जो शासन की आधारशिला है।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो द्वितीय विश्वयुद्ध से पूर्व ब्रिटेन और फ्राँस की तुष्टीकरण नीति इसके प्रमुख उदाहरणों में से एक है। १९३० के दशक में नाज़ी जर्मनी के पुन:शस्त्रीकरण, राइनलैंड के सैन्यीकरण और ऑस्ट्रिया के विलय जैसी घटनाओं के बावजूद ब्रिटेन और फ्राँस ने व्यापक युद्ध को टालने के उद्देश्य से अपेक्षाकृत संयमित नीति अपनाई। ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविल चेम्बरलेन इस नीति के सबसे प्रमुख प्रतीक बने। सितंबर १९३८ के म्यूनिख समझौते में चेकोस्लोवाकिया के सुडेटेनलैंड को जर्मनी को सौंपने पर सहमति दी गई, जबकि चेकोस्लोवाकिया स्वयं वार्ता का पक्ष नहीं था। तत्कालीन दृष्टि से इस निर्णय ने यूरोप को युद्ध से कुछ समय के लिये बचाया, किंतु मार्च १९३९ में हिटलर द्वारा शेष चेकोस्लोवाकिया पर कब्ज़े ने स्पष्ट कर दिया कि तुष्टीकरण उसकी विस्तारवादी महत्त्वाकांक्षाओं को रोक नहीं सका। इसके विपरीत, इससे हिटलर के आत्मविश्वास और सामरिक स्थिति को बल मिला तथा यूरोप में शक्ति-संतुलन और अधिक अस्थिर हुआ। अंतत: सितंबर १९३९ में पोलैंड पर जर्मन आक्रमण के बाद ब्रिटेन और फ्राँस को युद्ध में उतरना पड़ा तथा द्वितीय विश्वयुद्ध प्रारंभ हुआ। इस प्रसंग से यह शिक्षा मिलती है कि शांति की इच्छा यदि आक्रामकता के सामने समय पर प्रतिरोध और सामूहिक कार्रवाई से जुड़ी न हो, तो वह अनजाने में आक्रामक शक्ति को और प्रोत्साहित कर सकती है।

पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन का संकट इस युग में कठोर निर्णयों को टालने का सबसे ज्वलंत और विनाशकारी उदाहरण है। वैज्ञानिक दशकों से चेतावनी दे रहे हैं कि जीवाश्म ईंधनों पर हमारी निर्भरता पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र को तबाही की ओर ले जा रही है। इसके बावजूद, वैश्विक नेता और औद्योगिक शक्तियाँ तात्कालिक आर्थिक लाभ, जीडीपी की वृद्धि दर और चुनावी राजनीति के दबाव में आकर कार्बन उत्सर्जन को घटाने के कठोर निर्णयों को लगातार टालते रहे हैं। जलवायु सम्मेलनों में खोखले वादे किये जाते हैं और वास्तविक कठोर कदम आने वाली पीढ़ियों के कंधों पर डाल दिये जाते हैं। यह सबसे बड़ा नैतिक विश्वासघात है। आज का हमारा आलस्य और निर्णयहीनता कल के बच्चों के साँस लेने के अधिकार को छीन रही है।

आर्थिक और सामाजिक सुधारों के धरातल पर भी यह कटु सत्य स्पष्ट दिखाई देता है। १९९१ से पूर्व भारत गंभीर आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा था। लाइसेंस राज, अत्यधिक लालफीताशाही और राजकोषीय असंतुलन ने अर्थव्यवस्था को जकड़ रखा था। यदि उस समय राजनीतिक जोखिम उठाकर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के कठोर संरचनात्मक निर्णय न लिये गए होते, तो देश दिवालियापन के कगार पर पहुँच गया होता। कठोर सुधार हमेशा कड़वी दवा की तरह होते हैं-वे तात्कालिक रूप से असुविधा, विरोध और राजनीतिक अस्थिरता लाते हैं, परंतु दीर्घकाल में राष्ट्र को सशक्त बनाते हैं। इसी प्रकार, भूमि सुधार, श्रम सुधार, बैंकिंग व्यवस्था में फंसे कर्जों का समाधान या कृषि क्षेत्र के संरचनात्मक बदलाव-इन सभी में जब-जब लोकलुभावनवाद के कारण कठोर निर्णयों को टाला जाता है, तब-तब उसका बोझ समाज के सबसे कमज़ोर और हाशिये पर खड़े व्यक्ति को उठाना पड़ता है। व्यक्तिगत और नैतिक जीवन में भी हम अक्सर इस दुविधा से गुज़रते हैं। किसी कड़वे संबंध से बाहर निकलना, किसी प्रियजन की अनैतिक गतिविधि का विरोध करना, या अपनी किसी बुरी आदत और व्यसन को छोड़ना-ये सभी व्यक्तिगत स्तर के कठोर निर्णय हैं। जब कोई व्यक्ति टकराव के भय से या झूठी शांति बनाए रखने के लिये इन निर्णयों को टालता है, तो वह अंतत: अपने ही आत्मसम्मान और मानसिक शांति की बलि चढ़ा देता है। यहाँ यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि लोग कठोर निर्णयों को टालते क्यों हैं? इसके पीछे का मुख्य कारण 'नैतिक पलायन', व्यक्तिगत स्वार्थ, विफलता का भय और लोकलुभावनवाद की लत है। लोकतंत्रों में अक्सर यह देखा जाता है कि राजनेता अपने अगले चुनाव को सुरक्षित करने के लिये ऐसे लोकप्रिय निर्णय लेते हैं जो राष्ट्र के दीर्घकालिक हित के विरुद्ध होते हैं, जबकि आवश्यक और कड़े निर्णयों को अगली सरकार के लिये छोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया में 'नैतिक उत्तरदायित्व का ह्रास' होता है। जब कोई निर्णय टाला जाता है, तो समस्या समाप्त नहीं होती; बल्कि वह समय के साथ और अधिक जटिल, गहरी और घातक बन जाती है। जो समस्या आज एक साधारण सर्जरी से ठीक हो सकती थी, कल वह पूरे शरीर में फैल चुके नासूर का रूप ले लेती है। किंतु इस सिक्के का दूसरा पहलू भी विचारणीय है। क्या हर कठोर निर्णय स्वत: नैतिक होता है? कदापि नहीं। कठोरता के नाम पर क्रूरता, संवेदनहीनता, तानाशाही और जनविरोधी नीतियों को थोपना भी उतना ही अनैतिक है। एक नैतिक कठोर निर्णय वह नहीं है जो अहंकार, प्रतिशोध या अंधी हठधर्मिता से प्रेरित हो; बल्कि वह है जो करुणा, निष्पक्षता, दूरदर्शिता और लोक-कल्याण की भावना पर आधारित हो। कठोर निर्णय लेते समय लोकतांत्रिक मूल्यों, मानवाधिकारों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अनदेखी नहीं की जा सकती। निर्णय में कठोरता साधन के स्तर पर अनुशासन और दृढ़ता के रूप में होनी चाहिये, साध्य के स्तर पर उसका लक्ष्य सदैव मानवता का उद्धार होना चाहिये।

कठोर निर्णय लेने का नैतिक मार्ग वह है जहाँ व्यक्ति परिणाम की अनिश्चितता और व्यक्तिगत आलोचना को स्वीकार करते हुए भी सत्य और न्याय का वरण करता है। जॉन रॉल्स का 'अज्ञानता का पर्दा' हमें यह विचार देता है कि न्याय के सिद्धांत निर्धारित करते समय अपनी सामाजिक स्थिति, वर्ग, संपत्ति और अन्य व्यक्तिगत विशेषताओं को भूलकर ऐसी व्यवस्था की कल्पना करनी चाहिये, जिसे हम उस स्थिति में भी न्यायपूर्ण मानें, यदि हमें यह ज्ञात न हो कि हम स्वयं समाज के किस वर्ग या स्थिति में जन्म लेने वाले हैं। इससे निर्णय अधिक निष्पक्ष बनता है और सबसे वंचित वर्गों के हितों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि कठोर निर्णयों को टालना क्षणिक शांति और सुविधा का भ्रम पैदा कर सकता है, परंतु यह भ्रम उस रेत के महल की भाँति होता है जो समय के पहले ही थपेड़े में ढह जाता है। निष्क्रियता कोई सुरक्षित आश्रय नहीं है; यह केवल अन्याय का मौन सहभागी बनना है। एक प्रगतिशील, न्यायप्रिय और नैतिक समाज का निर्माण केवल उन आदर्शों से नहीं होता जिन्हें हम शब्दों में व्यक्त करते हैं, बल्कि उन साहसिक और कठोर निर्णयों से होता है जिन्हें हम संकट के समय लागू करने का नैतिक सामर्थ्य दिखाते हैं। अंतत:, इतिहास उन लोगों का सम्मान नहीं करता जिन्होंने समस्याओं से आँखें चुराईं, बल्कि उनका वंदन करता है जिन्होंने तूफान के बीच खड़े होकर सही दिशा में पतवार थामने का साहस दिखाया।

छात्र पुणे बंद करेंगे, मुंबई में मंत्रालय पर धावा बोलेंगे; २ दिन का अल्टीमेटम दे रहा हूं-रोहित पवार आक्रामक

पुणे / प्रतिनिधि :

पुणे में एमपीएससी के छात्रों के आंदोलन का आज पांचवां दिन है। आंदोलन में विभिन्न मांगों को लेकर तीन गुट बन गए हैं। हालांकि, अब स्थिति ऐसी बन गई है कि यह सवाल उठने लगा है कि यह एमपीएससी छात्रों का आंदोलन है या राजनीतिक अखाड़ा? हर्षवर्धन सपकाल से लेकर संजय राऊत तक विभिन्न राजनीतिक दलों के कई नेताओं ने आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात की है। खुद शरद पवार ने भी इस आंदोलन में ध्यान दिया है। अब आज दोपहर ४ बजे मनसे प्रमुख राज ठाकरे एमपीएससी छात्रों से मुलाकात करेंगे। साथ ही मनोज जरांगे पाटील भी इस आंदोलन में शामिल होने वाले हैं। इसी बीच, आंदोलन के पहले दिन से ही इसमें शामिल शरद पवार गुट के रोहित पवार ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है।

रोहित पवार ने कहा कि सीजेपी के अभिजीत दीपके द्वारा किए गए आह्वान के अनुसार पुणे शहर बंद हो सकता है। अब यह एमपीएससी के छात्र और उनके अभिभावक तय करेंगे। उस समय पुणे के नागरिकों को इन छात्रों का समर्थन करना चाहिए। ७ या ८ अक्टूबर को राहुल गांधी के पुणे आने की संभावना है। उस दिन करीब १ लाख छात्र पुणे की सड़कों पर उतरेंगे, ऐसा हमारा अनुमान है। एक तो ये छात्र पुणे बंद करेंगे या फिर मुंबई में मंत्रालय पर धावा बोलेंगे। सरकार को दो दिन का अल्टीमेटम दे रहा हूं, ऐसा इशारा भी रोहित पवार ने दिया।

नितेश राणे ने रोहित पवार से भी बातचीत की भूमिका अपनाने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि रोहित पवार



छात्रों के सवालों को लेकर संघर्ष करते हैं। उन्हें आंदोलन करना चाहिए, लेकिन छात्रों को परेशान या बंधक नहीं बनाना चाहिए। यह राजनीति का मंच नहीं है, बल्कि छात्रों के भविष्य का सवाल है। हम छात्रों के हित के लिए ही मंत्रालय में बैठे हैं। रोहित पवार मेरे मित्र हैं। हो सकता है कि कल वे मेरे साथ मंत्रिमंडल में मंत्री भी हों। वे अच्छी बात को अच्छा कहते हैं। हम छात्रों के लिए मिलकर काम करेंगे। उन्होंने आंदोलन करना चाहिए, लेकिन छात्रों को परेशान नहीं करना चाहिए।

नितेश राणे के इस बयान पर रोहित पवार ने भी जवाब दिया है। रोहित पवार ने कहा कि मंत्री और भाजपा नेता नितेश राणे मेरे मित्र हैं, लेकिन मुझे ऑफर देने के बजाय उन्हें छात्रों से संवाद कर उनके सवालों का समाधान करना चाहिए। अब सरकार के खिलाफ माहौल गरमाने के कारण वे मुझे मंत्री बनाकर साथ काम करने की बात कह रहे हैं। इसका मतलब है कि उन्हें एहसास हो गया है कि हमारी सरकार आने वाली है। इसलिए उन्हें हिम्मत दिखाकर विपक्ष में बैठना चाहिए। जब हमारी सत्ता आएगी, तब हम साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन मौजूदा स्थिति में नितेश राणे भटके हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा तंज रोहित पवार ने कसा।

रोहित पवार ने आगे कहा कि छात्रों का मुद्दा राजनीति का विषय नहीं है। मेरे मित्र और मंत्री नितेश राणे ने जो भावना व्यक्त की है, उससे हम पूरी तरह सहमत हैं और सत्याग्रह आंदोलन के पहले दिन से हम यही कह रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से सत्ताधारी दल के ही कुछ विधायक इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। छात्रों के सवाल पर राजनीति न करने के संबंध में उन्हें भी नसीहत दी जाए तो बेहतर होगा।

उन्होंने कहा कि छात्रों की सभी समस्याओं की जड़ बने एमपीएससी के कथित भ्रष्ट अध्यक्ष भिमनवार का इस्तीफा लिया जाए और इस संस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को साफ करने की मांग नितेश जी को अपनी सरकार से करनी चाहिए। अगर ऐसा किया गया तो मेरे साथ सभी छात्र आपका आभार व्यक्त किए बिना नहीं रहेंगे।

रोहित पवार ने आगे सवाल किया कि जहां तक आपके साथ मंत्री बनने की बात है, तो क्या इसका मतलब यह समझा जाए कि आप भाजपा को 'राम-राम' कह रहे हैं?

ओबीसी और जातिवार जनगणना का मुद्दा सबसे पहले राहुल गांधी ने उठाया : डॉ. सिरिवेल्ला प्रसाद

कांग्रेस मुख्यालय में ओबीसी कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर



मुंबई : जमीर काजी कि रिपोर्ट

जाति व्यवस्था की संरचना में ओबीसी समाज को निचला स्थान देकर मनुवादियों ने उनका इस्तेमाल किया है। जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई बड़ी है और इसी के लिए राहुल गांधी ने जातिवार जनगणना के मुद्दे को मजबूती से आगे बढ़ाया है। प्रत्येक समाज को उसकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिल सके, इसके लिए उन्होंने जातिवार जनगणना की मांग की। इसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जातिवार जनगणना कराने का निर्णय घोषित करना पड़ा, ऐसा प्रतिपादन प्रभारी डॉ. सिरिवेल्ला प्रसाद ने किया।

कांग्रेस मुख्यालय तिलक भवन में रविवार को आयोजित ओबीसी कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर तथा 'मंडल बनाम मनुवाद' पुस्तक के प्रकाशन समारोह में वे बोल रहे थे। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल, विधानमंडल कांग्रेस दल के नेता विजय वडेट्टीवार, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सचिव रेहाना चिश्ती, ओबीसी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रो. यशपाल भिंगे, सांसद प्रतिभा धानोरकर, प्रवक्ता हनुमंत पवार सहित अन्य प्रमुख नेता उपस्थित थे।

इस अवसर पर हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि महाराष्ट्र में आरक्षण के लिए विभिन्न समाजों के आंदोलन चल रहे हैं। आरक्षण की ५० प्रतिशत सीमा बढ़ाना और जातिवार जनगणना कराना ही इसका समाधान है, लेकिन भाजपा सरकार ऐसा नहीं कर रही है। राज्य में आरक्षण की मांग उठ रही है, ऐसे समय में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ब्रिटिशों की 'फूट डालो और राज करो' की नीति का इस्तेमाल करते हुए मराठा और ओबीसी समाज के बीच विवाद पैदा किया है, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया।

विजय वडेट्टीवार ने कहा कि ओबीसी समाज भाजपा के साथ खड़ा रहा, लेकिन भाजपा ने इस समाज के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ओबीसी के अधिकारों के लिए सबसे पहले आवाज उठाई। राहुल गांधी द्वारा आवाज उठाए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातिवार जनगणना की घोषणा की। मंडल आयोग ने ओबीसी समाज के लिए २७ प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की थी। यह आरक्षण सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन तथा सरकारी नौकरियों के लिए था। लेकिन मंडल आयोग के आंदोलन में हस्तक्षेप कर मनुवादियों ने ओबीसी समाज में गलतफहमियां फैलाने का काम किया। जातियों के बीच वैमनस्य फैलाने का काम किया गया। मनुवादी विचारधारा को समाप्त करने का काम समानता के विचार से ही किया जा सकता है, ऐसा वडेट्टीवार ने कहा।

प्रो. यशपाल भिंगे ने कहा कि देश में ओबीसी समाज को नेतृत्व और पहचान देने का काम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बी. पी. मंडल ने किया और यह समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान है। ओबीसी समाज केवल मतदान करने वाला नहीं, बल्कि नेतृत्व करने वाला समाज बनना चाहिए। इसके लिए 'हर एक ओबीसी, बनेगा कांग्रेसी' का संकल्प लिया गया है, ऐसा प्रो. भिंगे ने कहा। उन्होंने बताया कि 'मंडल बनाम मनुवाद' पुस्तक इस उद्देश्य से लिखी गई है कि इसे सामान्य कार्यकर्ता भी आसानी से समझ सके।

साइबर अपराधी को ५ वर्ष की सश्रम कारावास

फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर नाबालिग लड़कियों को अश्लील संदेश, फोटो और वीडियो भेजने वाले मंगेश तांबे को ठाणे न्यायालय की सजा; ५० हजार रुपये का जुर्माना पीड़ितों को देने का आदेश

ठाणे। प्रतिनिधी

सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर नाबालिग लड़कियों को अश्लील संदेश, फोटो और वीडियो भेजकर उनका उत्पीड़न तथा मानसिक प्रताड़ना करने वाले एक युवक को ठाणे जिला एवं सत्र न्यायालय ने कठोर सजा सुनाई है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अनिता नेवसे ने आरोपी मंगेश ईश्वरदास तांबे (२८ वर्ष, निवासी उत्तन) को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा ६७(अ) के तहत ५ वर्ष के सश्रम कारावास और ५० हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा ३५४(अ) के तहत ३ वर्ष के सश्रम कारावास और १० हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई गई। न्यायालय ने जुर्माने की राशि पीड़ितों को मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया है।

आरोपी मंगेश तांबे ने दिसंबर २०१७ से मार्च २०१८ के दौरान साइबर अपराध की साजिश रची थी। उसने फेसबुक पर 'विद्या' नाम से एक लड़की का फर्जी प्रोफाइल बनाया और शिकायतकर्ता युवती को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। सामने वाली व्यक्ति लड़की ही है, ऐसा समझकर शिकायतकर्ता ने फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। इसके बाद चैटिंग के दौरान आरोपी ने धीरे-धीरे अश्लील फोटो भेजना शुरू कर दिया।

शक होने पर शिकायतकर्ता ने वीडियो कॉल किया। वीडियो कॉल में लड़की के बजाय एक पुरुष दिखाई देने पर आरोपी की असलियत सामने आ गई। घबराकर शिकायतकर्ता ने तत्काल उसका नंबर ब्लॉक कर दिया।

नंबर ब्लॉक करने पर बदले की भावना से बनाया फर्जी अकाउंट

नंबर ब्लॉक किए जाने से नाराज आरोपी ने शिकायतकर्ता के नाम से ही एक फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया। इस अकाउंट के माध्यम से उसने शिकायतकर्ता की चचेरी बहन और उसकी नाबालिग सहेलियों को अश्लील संदेश, फोटो और वीडियो भेजना शुरू कर दिया।

आरोपी ने लड़कियों को धमकाकर उनका यौन शोषण करने का प्रयास भी किया। लगातार हो रहे इस उत्पीड़न से परेशान होकर शिकायतकर्ता ने सागरी उत्तन पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विनयभंग, पॉक्सो अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया।

सरकारी पक्ष ने पेश किए महत्वपूर्ण डिजिटल सबूत

मामले की सुनवाई ठाणे सत्र न्यायालय में हुई। सरकारी पक्ष की ओर से सहायक सरकारी वकील श्रीमती भामरे-पाटील ने प्रभावी पैरवी की। आरोपी के खिलाफ अपराध साबित करने के लिए सरकारी पक्ष ने कुल ९ महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही कराई।

गवाहों के बयान, डिजिटल सबूत और न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेजों को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया।

न्यायालयीन कार्यवाही में सरकारी वकील को कोर्ट पैरवी पुलिस हवलदार दिलीप सनेर ने महत्वपूर्ण सहयोग किया।

न्यायालय का फैसला

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, धारा ६७(अ): ५ वर्ष का सश्रम कारावास और ५० हजार रुपये जुर्माना। जुर्माना नहीं भरने पर ६ माह का अतिरिक्त कारावास।

भारतीय दंड संहिता, धारा ३५४(अ): ३ वर्ष का सश्रम कारावास और १० हजार रुपये जुर्माना।

पीड़ितों को मुआवजा: न्यायालय ने आरोपी से वसूल की जाने वाली जुर्माने की राशि पीड़ितों को मुआवजे के रूप में देने के निर्देश दिए हैं।

इस मामले से एक बार फिर यह स्पष्ट हुआ है कि सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से बातचीत करते समय और फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करते समय विशेष सावधानी बरतना आवश्यक है। साथ ही, तकनीक का दुरुपयोग कर महिलाओं और लड़कियों को प्रताड़ित करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, यह संदेश भी इस फैसले से सामने आया है।

एसआयआर रद्द करें! बैलेट पेपर पर दोबारा चुनाव कराने की विपक्ष की मांग

मुंबई। प्रतिनिधी

महाराष्ट्र सहित देशभर में लागू की जा रही मतदाता सूचियों की 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (डखठ) मुहिम गैरकानूनी है और इसे पूरी तरह रद्द किया जाना चाहिए। साथ ही चुनाव बैलेट पेपर पर दोबारा कराए जाएं, ऐसी मांग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गर्जना मोर्चे के दौरान की।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के विरोध में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे द्वारा आयोजित गर्जना मोर्चे में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट), शेतकरी कामगार पक्ष और वामपंथी दल शामिल हुए।

मेट्रो सिनेमा से लेकर महानगरपालिका तक यह मोर्चा निकाला गया। मुंबई महानगरपालिका के सामने बनाए गए मंच पर आयोजित जनसभा में चुनाव आयोग के खिलाफ एकजुट आवाज बुलंद हुई। किसी भी राजनीतिक दल का झंडा या चुनाव चिह्न नहीं लिया गया। केवल तिरंगा और सफेद टोपी पहनकर कार्यकर्ता मोर्चे में शामिल हुए। इस दौरान सभी नेताओं ने महाराष्ट्र में डखठ प्रक्रिया को पूरी तरह रद्द करने की मांग की।

इस अवसर पर कांग्रेस नेता बालासाहेब थोरात, राष्ट्रवादी कांग्रेस के जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाड, शशिकांत शिंदे, शेतकरी कामगार पक्ष के जयंत पाटील सहित शिवसेना के सुभाष देसाई, अरविंद सावंत, अनिल परब, मनसे के अमित ठाकरे, बाला नांदगांवकर सहित विपक्षी दलों के कई नेता मौजूद थे।

राज ठाकरे ने विधानसभा चुनाव के नतीजों पर उठाए सवाल

राज ठाकरे ने सवाल उठाया कि लोकसभा चुनाव के महज छह महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में ४० से ६० लाख मतदाता कैसे बढ़ गए? उन्होंने विधानसभा चुनाव के नतीजों पर ही संदेह व्यक्त किया। लोकसभा चुनाव में भाजपा को २ करोड़ ४४ लाख वोट मिले थे। विधानसभा चुनाव में यह आंकड़ा बढ़कर ३.१६ करोड़ कैसे पहुंच गया, यह शोध का विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में गड़बड़ी के कारण ही भाजपा २०२४ का विधानसभा चुनाव जीत सकी।

पूर्व केंद्रीय गृह सचिव आर.के. सिंह के बयान का हवाला देते हुए राज ठाकरे ने दावा किया कि देशभर में चल रही डखठ प्रक्रिया ही गैरकानूनी है। उन्होंने कहा कि किसे सत्ता में बैठाना है और किसे विपक्ष में, यह देश की जनता और मतदाता तय करेंगे, चुनाव आयोग नहीं।

राज ठाकरे ने सवाल उठाया कि एक ही उद्योगपति को जंगल, जमीन, हवाई अड्डे और बंदरगाह देने जैसे मनमाने फैसले सत्ताधारी किस आत्मविश्वास के बल पर ले रहे हैं? उन्होंने आरोप लगाया कि यह आत्मविश्वास तभी आया है जब चुनाव आयोग को उनके नियंत्रण में कर लिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो देश की जनता चाहे कितने भी आंदोलन करे या मोर्चे निकाले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सत्ता में बैठे राजनीतिक दल को सत्ता जाने का डर होता है, लेकिन महाराष्ट्र या दिल्ली में भाजपा को ऐसा कोई डर दिखाई नहीं दे रहा है। इसका कारण चुनाव आयोग का उनके साथ होना है, ऐसा आरोप ठाकरे ने लगाया।

उद्धव ठाकरे का भाजपा पर हमला

उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि महाराष्ट्र की जनता इस तानाशाही को महाराष्ट्र की मिट्टी में दफन किए बिना शांत नहीं बैठेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार प्रशासन चलाने के बजाय केवल बदले की राजनीति कर रही है और इसके लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है।

सत्ता के लालच में अंधे होकर जनता के अधिकारों पर हमला करने वालों को हिटलर का इतिहास नहीं भूलना चाहिए, ऐसा तंज उद्धव ठाकरे ने कसा। उन्होंने कहा कि ताकत का इस्तेमाल करने वाले हिटलर को अंततः अपनी ही करतूतों के कारण दुनिया से खत्म होना पड़ा था। उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग और मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ियों पर भी सवाल उठाए।

उन्होंने आरोप लगाया कि देश में जहां-जहां विपक्ष की ताकत बढ़ रही है, वहां जानबूझकर मतदाताओं के नाम काटने की साजिश रची जा रही है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि २०१४ में 'वोट अगेंस्ट करप्शन' का नारा देकर सत्ता में आई भाजपा के खिलाफ अब 'इंडिया अगेंस्ट वोट चोर' का नारा देने का समय आ गया है।

राज्य की कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए उद्धव ठाकरे ने ठाणे के पूर्णेकर की हत्या और देशभर में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों का भी हवाला दिया।

माजलगांव ग्रामीण अस्पताल में मुफ्त रक्त जांच बंद?

सूखे के दौरान मरीजों पर निजी प्रयोगशालाओं का आर्थिक बोझ; सभी जांच तत्काल शुरू करें : नुमान चाऊस

माजलगांव । प्रतिनिधि

माजलगांव ग्रामीण अस्पताल में विटामिन डी-३, बी-१२, सीआरपी सहित कुछ महत्वपूर्ण रक्त जांच बंद होने से आम और गरीब मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में सूखे की स्थिति के कारण नागरिक पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में मुफ्त जांच बंद होने के कारण मरीजों को निजी प्रयोगशालाओं में जांच करानी पड़ रही है।



ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब मरीजों पर यह अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है और इससे सरकार की मुफ्त स्वास्थ्य सेवा का उद्देश्य प्रभावित हो रहा है। ग्रामीण अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सुरेश सावले ने बताया कि कुछ जांच बंद करने के संबंध में वरिष्ठ स्तर से निर्देश प्राप्त हुए हैं।

सूखे की स्थिति में गरीब मरीजों को अतिरिक्त आर्थिक बोझ न उठाना पड़े, इसके लिए माजलगांव ग्रामीण अस्पताल में बंद की गई सभी रक्त जांच तत्काल शुरू की जाएं। साथ ही जांच बंद रखने के पीछे का कारण प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया जाए, ऐसी मांग मौलाना आजाद युवा मंच, बीड के जिलाध्यक्ष नुमान अली चाऊस ने की है।

उन्होंने कहा कि इस मांग का तत्काल संज्ञान लेकर बंद सभी जांच शुरू नहीं की गईं तो मौलाना आजाद युवा मंच की ओर से लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन किया जाएगा। जिलाध्यक्ष नुमान अली चाऊस ने प्रशासन को यह चेतावनी दी है।

देश में अगर कोई तानाशाह बन रहा है तो उसे यहीं दफना देंगे-उद्धव ठाकरे

एसआईआर रद्द कर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग-राज ठाकरे

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चे में उमड़ा जनसैलाब

मुंबई : जमीर काजी

प्रतिनिधि। हमारा संघर्ष किसी एक पार्टी, व्यक्ति, जाति या धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह हमारे स्वतंत्रता के अधिकार की लड़ाई है। अगर कोई तानाशाह बनने की कोशिश करता है, तो उसे इसी देश में दफन करने के लिए हम खड़े हैं, ऐसी चेतावनी पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को दी। वहीं मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने एसआईआर प्रक्रिया रद्द कर दोबारा बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की मांग की। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और ईवीएम के विरोध में आयोजित 'गर्जना मोर्चा' को संबोधित करते हुए दोनों नेताओं ने यह बातें कहीं। मेट्रो सिनेमा से मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय तक निकाले गए इस मोर्चे में तेज धूप के बावजूद हजारों नागरिक शामिल हुए। मोर्चे में चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के विरोध में व्यंग्यात्मक पोस्टर तथा नारे आकर्षण का केंद्र रहे।





मोर्चे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बालासाहेब थोरात, विजय वडेट्टीवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) के प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे, पूर्व मंत्री जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाड, मेहबूब शेख, सांसद संजय राऊत, बाला नांदगांवकर तथा शेकाप नेता जयंत पाटील सहित अनेक नेता शामिल हुए।

उद्धव ठाकरे ने ज्ञानेश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर तीखी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार की कथित भ्रष्ट कार्यप्रणाली के कारण राज्य के दो करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि पूरे देश में १३ करोड़ मतदाताओं को अचानक मतदाता सूची से हटा दिया गया। तमिलनाडु में ७० लाख और पश्चिम बंगाल में ३० लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने का भी उन्होंने दावा किया।

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए थे, उनमें से कुछ को आम चुनाव में फिर से वैध कर दिया गया। वहां उपचुनाव होने वाला है और इन मतदाताओं को मतदान का अधिकार दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि इससे यह सवाल उठता है कि क्या इन मतदाताओं को उपचुनाव में मतदान का अधिकार मिलेगा।

उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पहले चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाली समिति में प्रधान न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता शामिल थे। बाद में प्रधान न्यायाधीश को हटाकर उनकी जगह प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री को शामिल किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति इसी प्रक्रिया के तहत पक्षपातपूर्ण तरीके से की गई।

उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि किसानों की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का ध्यान राजनीतिक दलों को तोड़ने और विपक्ष को कमजोर करने पर है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मतदाताओं के अधिकारों को प्रभावित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि जब तक देश में कांग्रेस की सरकार थी, तब तक भाजपा ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का माहौल बनाया। लेकिन अब 'इंडिया अगेंस्ट वोट चोर' के नाम से विपक्ष एकजुट हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर बदलाव किए जा रहे हैं।

उद्धव ठाकरे ने राज्य की कानून-व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने ठाणे में हुई हत्या और देशभर में महिलाओं के खिलाफ अपराधों का उल्लेख करते हुए गृह विभाग की कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठाए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार खुद को हिंदुत्ववादी सरकार कहती है तो उसे महिलाओं की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर जवाब देना चाहिए।

राज ठाकरे ने बैलेट पेपर पर चुनाव की मांग की

मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि देशभर में मत चोरी को लेकर माहौल गरम है। उन्होंने दावा किया कि वह वर्ष २०१७ से मतों में गड़बड़ी की बात उठाते आ रहे हैं और इस संबंध में उन्होंने सोनिया गांधी तथा तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी से भी मुलाकात की थी।

उन्होंने कहा कि २०२४ के विधानसभा चुनाव में महायुति को पूर्ण बहुमत मिलने के बावजूद महाराष्ट्र में जीत का उत्साह दिखाई नहीं दिया। उन्होंने दावा किया कि छह महीने में ४० से ६० लाख मतदाता बढ़ गए और लोकसभा तथा विधानसभा चुनावों के बीच भाजपा के मतों में भी बड़ी वृद्धि हुई।

राज ठाकरे ने कहा कि विधानसभा चुनाव के समय मतदाताओं की संख्या बढ़ाई जाती है और एसआईआर के माध्यम से दो करोड़ मतदाताओं को हटाया जाता है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया किसी भी परिस्थिति में रद्द होनी चाहिए और ईवीएम का इस्तेमाल बंद कर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी दो प्रमुख मांगें हैं। पहली, महाराष्ट्र में की गई एसआईआर प्रक्रिया रद्द की जाए और दूसरी, भविष्य में चुनाव बैलेट पेपर पर कराए जाएं।

केवल तिरंगा ही लहराया

तेज धूप के बावजूद हजारों प्रदर्शनकारी मोर्चे में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने चुनाव आयोग, भाजपा और केंद्र सरकार के खिलाफ पोस्टर और नारों के माध्यम से अपना विरोध व्यक्त किया। हालांकि मोर्चे में किसी भी राजनीतिक दल का झंडा दिखाई नहीं दिया। प्रत्येक प्रदर्शनकारी के हाथ में केवल तिरंगा झंडा था।

जिले में सूखे की स्थिति का जायजा: किसानों को राहत देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध-पर्यावरण एवं पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे

बीड, ४ (जिमाका): इस वर्ष बारिश की कमी के कारण बीड जिले के सभी ११ तहसीलों पर सूखे का संकट मंडरा रहा है। बारिश के अभाव में किसानों की खड़ी फसलें सूख गई हैं और उनके हाथ में आने वाली उपज भी बर्बाद हो गई है। इस पृष्ठभूमि में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन तथा पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा गोपीनाथ मुंडे ने बीड और पाटोदा तहसील के सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर किसानों के खेतों में पहुंचकर फसलों का जायजा लिया।

निरीक्षण दौरे के दौरान उन्होंने बीड तहसील के वंजारवाडी, काकडहिरा, मुर्शदपुर, लिंबादेवी तथा पाटोदा तहसील के पिट्ठी नायगांव, रोहतवाडी, तांबा राजुरी, तले पिंपलगांव और करंजवण आदि गांवों

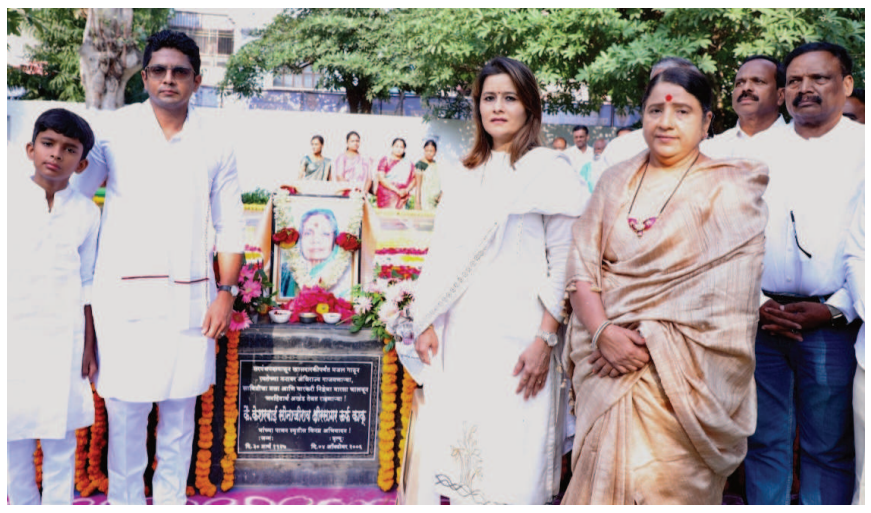


के खेतों में पहुंचकर फसलों को हुए नुकसान का प्रत्यक्ष जायजा लिया।

इस दौरान उन्होंने किसानों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं और कठिनाइयों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में सरकार मजबूती से किसानों के साथ खड़ी है।

उन्होंने बताया कि इतिहास में पहली बार केंद्र और राज्य सरकार के पारंपरिक मानदंडों को अलग रखते हुए जिले में सूखा घोषित किया गया है। प्रशासनिक व्यवस्था को फसलों के नुकसान का सर्वेक्षण और पंचनामा का कार्य सटीक तथा समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

आगामी त्योहार को देखते हुए किसानों की परेशानियों की गंभीरता को कम करने और उनकी दिवाली खुशहाल बनाने के लिए सरकार की ओर से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ३२ हजार करोड़ रुपये की कर्जमाफी हो या अन्य सहायता, सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। पंकजा मुंडे ने कहा कि मौजूदा आपातकालीन स्थिति में सरकार की संवेदनशील भूमिका से किसान वर्ग को बड़ा सहारा मिला है और प्रशासन की ओर से सहायता पहुंचाने का कार्य युद्धस्तर पर जारी है.



बीड: बीड रेलवे मार्ग के निर्माण की शिल्पकार एवं पूर्व सांसद स्वर्गीय केशरकाकू क्षीरसागर की पुण्यतिथि के अवसर पर भाजपा नेता डॉ. योगेश क्षीरसागर ने समाधि स्थल पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व नगराध्यक्ष डॉ. दीपाताई क्षीरसागर, भाजपा की बीड नगर परिषद की गुटनेता डॉ. सारिकाताई क्षीरसागर सहित बड़ी संख्या में समर्थक उपस्थित थे।

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षकों के लिए टीईटी का मामला

पांच या उससे अधिक न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सुनवाई की राह हुई आसान

औरंगाबाद : अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षकों पर शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) की अनिवार्य शर्त लागू किए जाने के मामले में अंजुमन इशाअत-ए-तालीम की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी लड़ाई जारी है। इस मामले में संस्था की ओर से अधिवक्ता एस. एस. काजी ने प्रभावी पैरवी करते हुए इस महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे को पांच या उससे अधिक न्यायाधीशों वाली बड़ी पीठ के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की राह आसान की है।

महाराष्ट्र सरकार ने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षकों के लिए भी ढएढ की शर्त लागू करने के संबंध में शासनादेश जारी किया था। इस निर्णय के खिलाफ अंजुमन इशाअत-ए-तालीम ने मुंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ का दरवाजा खटखटाया। रिट याचिका क्रमांक ११६४/२०१५ में अधिवक्ता एस. एस. काजी ने अंजुमन की ओर से पैरवी की। ८ मई २०१५ को न्यायमूर्ति एस. एस. शिंदे और न्यायमूर्ति वी. आर. बोरा की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर ढएढ लागू किए जाने को स्वीकार्य नहीं माना।

इसके बाद इसी मामले में एक अलग कानूनी स्थिति उस समय उत्पन्न हुई, जब आजाद एजुकेशन सोसाइटी, मिरज के मामले में मुंबई उच्च न्यायालय ने १२ दिसंबर २०१७ को ढएढ से संबंधित शासनादेश को बरकरार रखा। इस निर्णय के कारण दोनों फैसलों के बीच कानूनी मतभेद उत्पन्न हुआ और मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष २०२५ के फैसले में भी १२ दिसंबर २०१७ के इसी निर्णय पर विचार किया गया है।

इसी कानूनी पृष्ठभूमि में अंजुमन इशाअत-ए-तालीम की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की गई। ३० सितंबर २०२६ को एस. एस. काजी ने तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष दलीलें पेश करते हुए इस मामले से संबंधित पूर्व न्यायिक फैसलों और अल्पसंख्यक संस्थानों के संवैधानिक अधिकारों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया।



इस कानूनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बाद में इस मूल प्रश्न पर भी विचार किया कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम (ठढए -लीं) और उसके तहत ढएढ की शर्तें किस सीमा तक लागू होती हैं। १ सितंबर २०२५ के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में इस मामले से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक और कानूनी सवालों को बड़ी पीठ के समक्ष विचार के लिए भेजने का आदेश दिया गया।

१ सितंबर २०२५ के फैसले में न्यायालय ने सेवा में कार्यरत शिक्षकों के लिए भी ढएढ की शर्त से संबंधित निर्देश जारी किए। न्यायालय के अनुसार, जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में पांच वर्ष से अधिक समय बाकी है, उन्हें दो वर्ष के भीतर ढएढ उत्तीर्ण करने की शर्त पूरी करनी होगी। यह फैसला अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षकों के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इस फैसले के बाद अंजुमन इशाअत-ए-तालीम और अन्य संबंधित पक्षों की ओर से मामले के व्यापक संवैधानिक पहलुओं पर पुनर्विचार के लिए कानूनी प्रयास जारी रहे। ३० सितंबर २०२६ को सिविल अपील क्रमांक १३८५/२०२५, अंजुमन इशाअत-ए-तालीम बनाम महाराष्ट्र राज्य, सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध रही। इस सुनवाई में अधिवक्ता एस. एस. काजी भी उपस्थित रहे।

अल्पसंख्यक संस्थानों के शिक्षकों को उम्मीद

अंजुमन इशाअत-ए-तालीम की लगातार कानूनी लड़ाई का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना तथा इन संस्थानों में लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों के भविष्य को अनिश्चितता से सुरक्षित रखना है।

यह मामला केवल ढएढ की शर्त तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका संबंध अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को संविधान के अनुच्छेद ३०(१) के तहत प्राप्त अधिकारों, शिक्षकों की सेवा संबंधी मामलों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अधिकार से भी है। इसलिए इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बड़ी पीठ के समक्ष संवैधानिक प्रश्नों पर विचार किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अंजुमन इशाअत-ए-तालीम की ओर से अधिवक्ता एस. एस. काजी और अन्य वकीलों के लगातार प्रयासों से इस मामले के कानूनी पहलुओं के और अधिक स्पष्ट होने की उम्मीद जगी है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षकों की नजरें अब सर्वोच्च न्यायालय की आगामी कार्यवाही और बड़ी पीठ के फैसले पर टिकी हैं।

यह फैसला देशभर के अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों, उनके शिक्षकों और प्रबंधन के लिए दूरगामी प्रभाव वाला हो सकता है।

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com